केंद्रीय विद्यालय संगठन

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 वायुसेना स्थल, सूरतगढ़
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय)
जिला- श्रीगंगानगर, राजस्थान-335804
KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 AFS SURATGARH
(An autonomous body under the Ministry of Education, Govt. of India)
DISTT.SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN-335804
KV Code: 1637 // Station Code: 350 // Region code: 13
CBSE Aff. No.1700057 // School CBSE Code: 14182 // Contact: 01509-294641
Web Site: no2suratgarhafs.kvs.ac.in // E-mail: kvno2afssuratgarh@gmail.com

F.No.1637/D6/KV2/AFS/SOG/ 2025-26/

Date:22.04.2025

नीलामी की सूचना (संशोधित)

सभी को यह सूचित किया जाता है कि विद्यालय के संगणक, प्राथमिक चिकित्सा, खेल विभाग, सीएमपी, संगीत, फर्नीचर, सीसीए , शिक्षण सहायक वस्तुएँ,परीक्षा विभाग, जूनियर साइंस लैब, एम एंड आर स्कूल भवन विभागों का सामान जो अनुपयोगी घोषित है, जहाँ और जैसी स्थिति में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से दिनांक **23 अप्रेल 2025 के स्थान पर दिनांक 30 अप्रेल 2025** को **सुबह** 11:30 बजे विद्यालय परिसर में बेचा जाना प्रस्तावित है। अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म विद्यालय परिसर में नीलामी के लिए रखी गई वस्तुओं का निरीक्षण दिनांक 30 **अप्रेल 2025** को **सुबह 09.30 से 10.30 बजे** तक कर सकते हैं एवं नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु **सुबह 11:30 बजे** व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं। सफल बोलीदाताओं को कार्यालय में बोली राशि तुरंत जमा करनी होगी और विद्यालय परिसर से निस्तारित सामान को तुरंत अपनी लागत पर उठाना होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्यों को इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

नीलामी के लिए नियम और शर्तें :-

1. बोली लगाने वाले को बोली में भाग लेने से पहले ₹500 की धरोहर राशि जमा करानी होगी जो नीलामी के बाद असफल बोली दाताओं को वापस कर दी जाएगी।
2. अपने व्यक्तिगत पहचान / फर्म का पहचान पत्र लाना होगा।
3. समिति द्वारा स्वीकार्य उच्चतम बोली की राशि को मौके पर ही जमा करना होगा, जिसमें धरोहर / सुरक्षा राशि समायोजित कर दी जाएगी। नीलामी की गयी सामग्री बोलीदाता द्वारा भुगतान करने के तुरंत बाद खुद के खर्चे पर उठानी होगी । स्वीकृति के समय बोलीं कि 100% राशि जमा कराने में विफलता के मामले में उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
4. बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म को वायुसेना अथॉरिटी के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।
5. अन्य नियम और शर्तें यदि कोई है, समिति द्वारा नीलामी प्रारंभ होने से पहले ही घोषित कर दी जाएगी।
6. बिना किसी भी कारण को बताए, किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(सोहन लाल)
प्राचार्य
(सोहन लाल/SOHAN LAL)
प्राचार्य/PRINCIPAL
के. वि. क्र. 2 वायुसेना सूरतगढ़
KV NO. 2 AFS SURATGARH

वितरण -:

1. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्धन समिति
2. समस्त केंद्रीय विद्यालय, जयपुर सम्भाग
3. विद्यालय सूचना पट्ट
4. विद्यालय वेबसाइट
5. अफवा (AFWWA) सूचना पट्ट